भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 249

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।)

'आधार को पैन कार्ड से जोड़ना'

249. श्रीमती माला राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उन लोगों, जिन्होंने अंतिम तिथि तक अपने पैन-आधार को नहीं जोड़ा है, उनसे 30 जून, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक विलंब के लिए 1000/- रुपये का जुर्माना लगाए जाने के फलस्वरूप अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास उन आधार कार्डों की संख्या के बारे में कोई आंकड़ा है जो अभी भी पैन से नहीं जोड़े गए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) जिन व्यक्तियों का पैन आधार से लिंक नहीं है, उन व्यक्तियों से 01.07.2023 से 31.01.2024 तक कुल संग्रहण 601.97 करोड़ रुपए है।

(ख) एवं (ग) छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर, 29.01.2024 तक आधार से लिंक न होने वाले पैन की संख्या 11.48 करोड़ रुपए है।